संख्या-05/2018/पी0-08/52-4-2018-01(121)/13 टी०सी०

प्रेषक,

दीनानाथ,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
अल्पसंख्यक कल्याण, उत्तर प्रदेश,
इन्दिरा भवन, लखनऊ।

अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनुभाग-1 लखनऊ, दिनांक 13 मार्च, 2018

विषय– वित्तीय वर्ष 2017-18 में मल्टी सेक्टोरल डेवलपमेण्ट प्रोग्राम के अन्तर्गत **जनपद-सन्तकबीरनगर** के विकास खण्ड-बघौली एवं विकास खण्ड-सोठा/सांठा में पेयजल आपूर्ति योजना हेतु केन्द्रांश की **द्वितीय किश्त** एवं उसके सापेक्ष बनने वाले राज्यांश की धनराशि अवमुक्त करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अवर सचिव, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र संख्या-3/19(33)/2013-पी0पी0, दिनांक 27.09.2013 के क्रम में जारी शासनादेश संख्या-जी0आई0-420/बावन-1-2013-1(121)/13, दिनांक 26 फरवरी, 2014 द्वारा उक्त योजनाओं की प्रथम किश्त की धनराशि कार्यदायी संस्था **उ0प्र0 जल निगम** के पक्ष में अवमुक्त की गयी।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अवर सचिव, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र संख्या-एम०एस०डी०पी०-13/39/2017-एम०एस०डी०पी०-एम०ओ०एम०ए०, दिनांक 21.08.2017 से जनपद-सन्तकबीरनगर के उक्त विकास खण्डों में पेयजल योजनाओं के लिए पूर्व नामित कार्यदायी संस्था-**उ०प्र० जल निगम, लखनऊ** को प्रश्नगत कार्य को करने हेतु कुल अनुमोदित केन्द्रांश रू0 **285.23** लाख के सापेक्ष द्वितीय किश्त के रूप में प्राप्त केन्द्रांश रू0 **142.62** लाख (रूपये एक करोड़ बयालीस लाख बासठ हजार मात्र) एवं उसके सापेक्ष बनने वाले राज्यांश रू0 **142.60** लाख (रूपये एक करोड़ बयालीस लाख साठ हजार मात्र) अर्थात् कुल रू0 **285.22** लाख (रूपये दो करोड़ पचासी लाख बाइस हजार मात्र) योजना के लिए चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में लेखा शीर्षक-4235-02-800-01-0117-24 में प्राविधानित मूल बजट रू० 1000.00 लाख के सापेक्ष विभिन्न लेखा शीर्षकों में से पुनर्विनियोग द्वारा व्यवस्था की गयी धनराशि कुल रू० 12501.11 लाख में से अवमुक्त कर आपके निवर्तन पर रखने व व्यय करने की राज्यपाल महोदय स्वीकृति प्रदान करते हैं।

http://shasanadesh.up.nic.in

(रू0 लाख में)

क्र0	जनपद	योजना	अनुपात **(के0:रा0)**	इकाई	इकाई लागत	कुल अनुमोदित केन्द्रांश	कुल राज्यांश	पूर्व में अवमुक्त प्रथम किश्त (के0+रा0)	अवमुक्त **द्वितीय किश्त**		अवमुक्त कुल धनराशि (के0+रा0)
									केन्द्रांश	राज्यांश	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	सन्तकबीर नगर	विकास खण्ड-बघौली में पेयजल आपूर्ति योजना	50:50	02	149.69	149.69	149.69	149.69	74.85	74.84	149.69
2	,,	विकास खण्ड-सोठा/सांठा में पेयजल आपूर्ति योजना	50:50	01	271.07	135.54	135.53	135.54	67.77	67.76	135.53
		योग		03	420.76	**285.23**	**285.22**	**285.23**	**142.62**	**142.60**	**285.22**

3- अवमुक्त धनराशि का उपभोग निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन किया जायेगा:-

1- अवमुक्त धनराशि को किसी अन्य मद में व्यय नहीं किया जायेगा। प्रश्नगत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्त पुस्तिका तथा बजट मैनुअल के नियमों के अन्तर्गत शासन या अन्य सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति यदि आवश्यक हो, प्राप्त करके ही किया जायेगा।

2- अवमुक्त धनराशि का व्यय योजना में अनुमोदित कार्य-मदों पर योजना के मार्ग-निर्देशों तथा समय-02 पर भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा जारी निर्देशों के अधीन किया जायेगा।

3- कार्य को अनुमोदित लागत से 06 माह में गुणवत्ता एवं मानक के अनुसार पूर्ण किया जायेगा। यदि इस मद में कोई वृद्धि होती है तो अतिरिक्त धनराशि नहीं दी जायेगी। निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण, उ0प्र0 एवं कार्यदायी संस्था के निदेशक तथा इक्जक्यूटिव इंजीनियर, उ0प्र0 जल निगम, सन्तकबीरनगर के मध्य किये गये त्रिपक्षीय एम0ओ0यू0 (मेमोरेण्डम आफ अण्डर टेकिंग) की शर्तों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जायेगा।

4- मुख्य अभियन्ता, **उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ** द्वारा अवमुक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण-पत्र, त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट, जल आपूर्ति योजना के फोटोग्राफ्स तथा जल योजना-स्थल की दो-02 प्रतियां निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ को उपलब्ध करायी जायेंगी।

5- योजना की गाइड लाइन्स तथा शासन द्वारा समय-02 पर जारी दिशा-निर्देशों एवं सुसंगत शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए आवश्यकतानुसार आहरित कर नियमानुसार व्यय की जायेगी।

6- धनराशि आहरित कर पी0एल0ए0 में नहीं रखी जायेगी

http://shasanadesh.up.nic.in

7- वित्त विभाग के शासनादेश दिनांक 26.08.2014 एवं दिनांक 03.08.2017 के प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

8- लेबर सेस की धनराशि नियमानुसार श्रम विभाग को भुगतान किया जायेगा।

9- यथावश्यक उत्तर प्रदेश भण्डार क्रय नियमावली के प्राविधानों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय।

10- जल आपूर्ति योजना के सम्बन्ध में शासन के सम्बन्धित विभाग एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्धारित शिड्यूल-रेट एवं विशिष्टियों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय। एम0एस0डी0पी0 योजना के अन्तर्गत लगाये जाने वाले जल आपूर्ति योजना के मानक, क्षेत्रफल आदि वही प्रभावी रहेंगे, जो जल आपूर्ति योजना के लिए पेयजल से सम्बन्धित मूल विभाग में निर्धारित हैं।

11- जल आपूर्ति योजना का कार्य पूर्ण होने के उपरान्त कार्यदायी संस्था द्वारा उसके हस्तान्तरण की कार्यवाही जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी तथा योजना से सम्बन्धित विभाग के अधिकारी के माध्यम से की जायेगी।

12- अवमुक्त धनराशि के उपभोग में मितव्ययितापूर्ण दृष्टिकोण अपनाते हुए वित्त विभाग के सुसंगत शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

13- उपरोक्त कार्य के बारे में अवमुक्त धनराशि से कराये गये कार्यों की गुणवत्ता की पुष्टि जिलाधिकारी/जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी द्वारा कर लिया जायेगा तथा शासनादेश में निहित व्यवस्था के अनुसार थर्ड पार्टी का निरीक्षण भी सुनिश्चित कराया जाना जिलाधिकारी एवं कार्यदायी संस्था का संयुक्त दायित्व होगा। यदि गुणवत्ता में किसी प्रकार की शिकायत आती है तो उसे शासन तथा निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण को सूचित किया जायेगा।

14- कार्यदायी संस्थाओं को अवमुक्त की जाने वाली धनराशि में से निर्माण कार्य हेतु दो-दो माह की आवश्यकता के लिये आवश्यक धनराशि, आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा कोषागार से आहरण कर उपलब्ध करायी जाय। कार्यदायी संस्था द्वारा पूर्व में दी गयी धनराशि के 80 प्रतिशत का उपयोग करने के उपरान्त अगले दो माह के लिये धनराशि कोषागार से आहरित करके दी जाय।

15- कार्यदायी संस्था द्वारा निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व यथावश्यकता स्थानीय विकास प्राधिकरण/सक्षम लोकल अथारिटी से मानचित्रों को स्वीकृत कराया जायेगा तथा समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियां एवं पर्यावरणीय क्लीयरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त कर निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जायेगा। परियोजना के पूर्ण होने पर कार्यदायी संस्था द्वारा कार्य के सम्परीक्षित लेखे निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण, उ०प्र० लखनऊ को उपलब्ध कराये जायेंगे ।

4- उक्त के फलस्वरूप होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-48 के लेखा शीर्षक "4235- सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय-02-समाज कल्याण-800-अन्य व्यय-01-केन्द्र प्रायोजित योजनाएं-**0117-अल्पसंख्यक**

http://shasanadesh.up.nic.in

बाहुल्य जनपदों में मल्टी सेक्टोरल डिस्ट्रिक्ट प्लान के अन्तर्गत पेयजल आपूर्ति योजना (के0 50/रा0 50-के०+रा०)-24-वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

5- यह आदेश वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-8/2017/बी0-1-1190/दस-2017-231/2017, दिनांक 03.08.2017 में निहित प्राविधानों के अनुसार जारी किया जा रहा है।

6- उक्त शासनादेश के प्रस्तर-2(12)/(छ) के क्रम में भविष्य में कोई भी पुनरीक्षित आंगणन अनुमन्य नहीं होगा।

संलग्नक-बी0एम0-9 प्रपत्र(छायाप्रति)

भवदीय,

(दीनानाथ)
उप सचिव।

संख्या-पी0-08(1)/बावन-4-2018-तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम एवं द्वितीय उ0प्र0, इलाहाबाद।
3- बजट अधिकारी, वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन।
4- अवर सचिव, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय भारत सरकार 11वां तल, पर्यावरण भवन, सी0जी0ओ0 काम्पलेक्स लोधी रोड, नई दिल्ली।
5- प्रमुख सचिव, पंचायतीराज/ग्राम्य विकास विभाग, उत्तर प्रदेश को इस आशय से प्रेषित कि एम0एस0डी0पी0 योजनान्तर्गत पेयजल आपूर्ति योजना के लिए आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराने हेतु अपने स्तर से भी सम्बन्धित अधिकारी को यथाआवश्यक निर्देश देने का कष्ट करें।
6- प्रबन्ध निदेशक, **उ०प्र० जल निगम, लि० लखनऊ** को इस आशय से प्रेषित कि अवमुक्त धनराशि से **जनपद- सन्तकबीरनगर** के विकास खण्ड-बघौली एवं विकास खण्ड-सोठा/सांठा में पेयजल आपूर्ति योजना को निर्धारित समय में पूर्ण कराने का कष्ट करें।
7- जिलाधिकारी/जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, **सन्तकबीरनगर ।**
8- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
9- लेखाधिकारी/वेब अधिकारी, अल्पसंख्यक कल्याण, निदेशालय, लखनऊ को इस आश्य से प्रेषित कि प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृति अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।
10- वित्त-ई-11 को एक प्रति तथा वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 को तीन स्वच्छ प्रति।
11- निजी सचिव, मा0मंत्री, अल्पसंख्यक कल्याण एवं हज को मा0मंत्री जी के अवलोकनार्थ।
12- निजी सचिव, प्रमुख सचिव, अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ विभाग को प्रमुख सचिव महोदया के अवलोकनार्थ।
13- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(दीनानाथ)
उप सचिव।

http://sharadesh.up.nic.in